फॉर्म–ए

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I CUM SPECIAL JUDGE, (SC/ST) KAIMUR AT BHABHUA

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.), जिला कैमूर (बिहार)

उपस्थितः–बलजिन्दर पाल, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.), भभुआ जिला–कैमूर

[निर्णय तिथिः–27.04.2026]

[एस.सी./एस.टी. प्रकरण क्रमांक–221/2018, सी0आई0एस0 क्रमांक–221/2018]

(एस.सी./एस.टी. भभुआ थाना, जिला–कैमूर के अपराध क्रमांक–74/2019 से उत्पन्न विशेष प्रकरण)

अभियोजक	बिहार राज्य द्वारा कमला देवी (सूचिका)
अभियोजन की ओर से	श्री संजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तों का नाम	1. बनारसी प्रजापति, पिता– स्व0 रामशकल प्रजापति, उम्र–करीब 48 वर्ष, 2. रवि प्रजापति, पिता– स्व0 रामदेव प्रजापति, उम्र–करीब 42 वर्ष, 3. महेन्द्र प्रजापति, पिता– स्व0 घुरफेकन प्रजापति, उम्र–करीब 54 वर्ष, 4. अमित प्रजापति, पिता– जवाहर प्रजापति, उम्र–करीब 38 वर्ष, 5. अवधेश प्रजापति, पिता– स्व0 रामदेव प्रजापति, उम्र–करीब 58 वर्ष, 6. हरि नारायण प्रजापति, पिता– स्व0 रामशकल प्रजापति, उम्र–करीब 52 वर्ष, सभी निवासी ग्राम– सोनाव, गंगापुर, थाना– दुर्गावती, जिला–कैमूर (भभुआ)।
अभियुक्तगण की ओर से	श्री संजय कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।

फॉर्म–बी

घटना तिथि	10.12.2018
प्राथमिकी की तिथि	14.12.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	31.12.2018
आरोप गठन की तिथि	04.03.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	22.07.2022
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	21.04.2026
निर्णय तिथि	27.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्तों का विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा–428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	बनारसी प्रजापति	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश दिनांक–25.09.2019 एवं 06.12.2021 को क्रमशः किमनल मिसलेनीयश	18.10.2019	धारा– 447,323,341, 354,504,506/34, भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s),3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	दोषमुक्त	–	–
2.	रवि प्रजापति		15.12.2021		दोषमुक्त	–	–
3.	महेन्द्र प्रजापति		01.10.2019		दोषमुक्त	–	–

4.	अमित प्रजापति	**नं0–3992/2019 एवं 5113/2019 में पारित आदेश के आलोक में आत्मसर्मपन किया एवं जमानत पर मुक्त हुआ**	01.10.2019	(अत्याचार निवारण) अधिनियम।	**दोषमुक्त**	–	–
5.	अवधेश प्रजापति		01.10.2019		**दोषमुक्त**	–	–
6.	हरि नारायण प्रजापति		18.10.2019		**दोषमुक्त**	–	–

निर्णय

1. छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध धारा– 447,323,341,354, 504,506/34,भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s),3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

2. सूचिका कमला देवी इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज कराया है कि ''दिनांक 10.12.2018 को सुबह करीब 8 बजे सूचिका अपने घर के आंगन में बैठी थी उसी समय 1. महेन्द्र प्रजापति पिता स्व0 घुरफेकन प्रजापति, 2. अमित प्रजापति पिता– जवाहर प्रजापति, 3. अवधेश प्रजापति, 4. रवि प्रजापति दोनों पिता स्व0 रामदेव प्रजापति, 5. बनारसी प्रजापति, 6. हरिनारायण प्रजापति दोनों पिता स्व0 राम सकल प्रजापति सभी ग्राम सोनाव गंगापुर, थाना दुर्गावती जिला कैमूर आये तथा जाति सूचक दुसाध नीच कहकर गाली गलौज करते हुए बाले कि तुम लोग मेरे जमीन से होकर आना जाना बन्द करो इसपर सूचिका बोली कि ये जमीन सूचिका के ससुर के नाम से है इसी बात पर महेन्द्र प्रजापति लप्पड़–थपड़ से मारपीट करते हुए गर्दन में हाथ लगाकर ढकेल दिये जिससे सूचिका जमीन पर गिर गई फिर सभी लोग मारपीट करने लगे जिससे सूचिका जोर–जोर से चिल्लाने लगी। हल्ला सुनकर ग्रामीण एवं उसके परिवार के लोग आए तथा सूचिका को बचाए। जाते समय वेलोग धमकी दिये कि अगर केस करोगे तो जान से मार देंगें। वेलोग काफी मनबढु किस्म के लोग है हमेशा जाति सूचक गाली गलौज करते रहते है। पति के घर पर नहीं रहने के कारण थाना आने में विलम्ब हुआ।''

सूचिका कमला देवी का उक्त आवेदन के आधार पर छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध धारा–147,149,341,323,448,504,506 भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषणोपरान्त बारह अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध धारा–341,447, 323,354,504,506/34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र के आधार पर इस न्यायालय के पूर्ववर्ती न्यायिक पदाधिकारी द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक– 14.02.2019 को लिया गया तथा छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध धारा–341,447, 323,354,504,506/34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के विचारण हेतु पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर उनके विरूद्ध अपराध के विचारण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4. छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध धारा–447, 323,341,354,504,506/34 भा0द0वि0 एवं धारा– 3(1)(s), 3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 04.03.2022 को आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तों द्वारा आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा दिनांक–26.09.2025 को छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति का धारा 313 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तों ने अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया और बचाव में किसी प्रकार का साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6. इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

साक्ष्य

7. इस वाद विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पॉच साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, अभियोजन साक्षी संख्या–01 शिवदास पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–02 मित्रराज पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–03 कमला देवी (सूचिका) एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 सुरेश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 05 उमेश कुमार का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आरोप पत्र को प्रदर्श– **P1/PW4,** औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष के लघु हस्ताक्षर को प्रदर्श– **P2/PW4** तथा लिखित आवेदन को प्रदर्श– **P3/PW5** के रूप में प्रस्तुत किया है।

8. बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक या दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को ही बचाव का आधार बनाया है।

दोनों पक्षों का बहस

9. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बहस में समर्पित किया गया कि काण्ड के सभी अभियोजन साक्षियों द्वारा सूचिका के साथ उसके घर में घूॅसकर रास्ता संबंधी जमीनी विवाद को लेकर सभी विचाराधीन अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर सूचिका के साथ मारपीट करने और उसको धक्का देकर गिराने एवं उसकी लज्जा भंग करने का साक्ष्य दिया है और घटना स्थल सूचिका का गांव अवर्हिया थाना दुर्गावती स्थिति घर का ऑगन है और घटना का समय सुबह 08 बजे दिनांक 10.12.2018 है, जिसे अनुसंधान अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या 4 सुरेश सिंह द्वारा सत्यापित किया गया है।

सूचिका सह पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान समर्पित किया गया कि मुकदमा सूचिका कमला देवी के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आवेदन के आधार पर दिनांक 14.12.2018 को, घटना दिनांक 10.12.2018 के बारे में दर्ज किया गया था और प्राथमिकी में देरी का कारण है कि सूचिका के पति घर पर नहीं थे इसलिए मुकदमा देर से हुआ और अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी आवेदन में सत्यता पाई गयी और अण्वेषण के दौरान, अण्वेषण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का दौरा किया गया है और साक्षियों के बयान अंकित किये गये और अभियोजन द्वारा तीन साक्षियों अभियोजन साक्षी संख्या 1 शिव दास पासवान (स्वतंत्र गवाह) अभियोजन साक्षी संख्या 2

श्री महाराज पासवान, सूचिका के देवर एवं अभियोजन साक्षी संख्या 3 स्वंय सूचिका का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया जिनमें से स्वतंत्र साक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्राथिमिकी का पूर्ण समर्थन किया और घटना को अभियुक्तगण द्वारा कारित करने का साक्ष्य दिया जबकि साक्षी संख्या 3 सूचिका जो कि लकवाग्रस्त हो गयी थी और न्यायालय में उपस्थित हुई थी लेकिन बोलने या अपनी बात रखने में असमर्थ थी इसलिए उसका परीक्षण न्यायालय में नहीं हो पाया जिस बारे साक्षी संख्या 3 के परीक्षण के दौरान न्यायालय की साक्षी संख्या 3 द्वारा शारिरीक असमर्थता बारे लिखा गया है। चूँकि साक्षी संख्या 3 सूचिका अपना साक्ष्य दर्ज करवाने में असमर्थ थी इसलिए उसके द्वारा दाखिल आवेदन जिसपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, को साक्षी संख्या 5 उमेश कुमार द्वारा सिद्ध किया गया है जो सूचिका के देवर है और साक्षी संख्या 5 ने ही आवेदन पर सूचिका के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है जिसे प्रदर्श पी–3/पी0डब्लू–5 अंकित किया गया और इस तरह से अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को संदेह से परे अकाट्य, विश्वसनीय एवं त्रुटिहीन मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया है इसलिए विचाराधीन अभियुक्तगण को गठित आरोप के अन्तर्गत दोष सिद्ध करार दिया जाए।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में समर्पित किया गया कि कथित घटना दिनांक 10.12.2018 समय सुबह 8 बजे की बतायी जाती है, जिसमें घटना स्थल सूचिका के घर का ऑगन बताया गया है जबकि प्राथमिकी विलम्ब से दिनांक 14.12.2018 को सोची–समझी योजना के अनुसार कृत्रिम एवं बनावटी कथानक बनाकर सूचिका को एक हथियार के रूप में दुरूपयोग कर दर्ज करवायी गयी है क्योंकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं बल्कि इस काण्ड की सूचिका एवं उसका देवर एवं अभियुक्तगण के बीच रास्ता को लेकर लम्बे समय से जमीनी विवाद है और उसी को लेकर कुछ बोल–चाल हुआ था, जो सूचिका के घर पर नहीं बल्कि अभियुक्तगण की जमीन के पास कुछ कहा–सुनी हुई थी लेकिन जाति संबंधी प्रताड़ित करने की दृष्टि से कोई भी शब्द अभियुक्तगण द्वारा नहीं कहा गया था और क्योंकि सूचिका पक्ष के लोग नाजायज तरीके से अभियुक्तगण के जमीन से रास्ता चाहते है, उसी को लेकर घर में घ ॅूसकर धक्का देकर गिराने, बाल खींचने, जाति सूचक गाली गलौज का झुठा आरोप लगाकर यह बनावटी एवं झुठा मुकदमा विलम्ब से दर्ज करवाया गया है और विलम्ब का कारण सूचिका के पति का घर में नहीं होना बताया गया है और यदि यह बात सिर्फ तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि सूचिका का पति घर पर नही था तो क्या प्राथमिकी उसके पति के आने के बाद दर्ज हुई और यदि हॉ तो क्यों सूचिका के पति को इस काण्ड में साक्षी नहीं बनाया गया है।

(i) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी समर्पित किया गया है कि यदि कथित घटना सूचिका के ऑगन में हुई तो वहॉ उसने अपने परिवार व अन्य ग्रामीणों का घटना स्थल पर हल्ला सुनकर आने का कथन प्राथमिकी आवेदन में किया है लेकिन किसी का भी नाम अंकित नही है और यदि एक पल के लिए मान लिया जाए कि घटना सूचिका के ऑगन में हुई तो किसने घटना को देखा, किसी का जिक्र प्राथमिकी आवेदन में नहीं है और जो एक मात्र स्वतंत्र साक्षी अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में (शिवदास पासवान) का परीक्षण करावाया गया है, ने स्वंय कहा कि सुबह 8 बजे वह दुर्गावती बाजार से घर लौट रहा था, तो सोनाव डीह गंगापुर के पास देखे कि कमला देवी को महेन्द्र पासवान की औरत, महेन्द्र प्रजापति, अवधेश, रवि, बनारसी और हर नारायण कुल 5–6 आदमी मार रहे थे। कमला देवी को मुदालयगण कह रहे थे कि तुम हटो यह जमीन मेरी है तथा रास्ता को लेकर झगड़ा झंझट हो रहा था और यदि साक्षी संख्या 1 के बयान पर विश्वास किया जाए तो वादिनी सह सूचिका के घर के ऑगन में झगड़े का कोई कथन साक्षी संख्या 1 ने नहीं किया बल्कि कहा कि जब वह बाजार से लौट रहा था तो रास्ता को लेकर झंझट हो रहा था और मुदालयगण कह रहे थे कि तुम हटो यह जमीन हमारी है जिससे स्पष्ट है कि सूचिका के घर के ऑगन में न तो कोई घॅूसा और न ही कोई कथित मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द कहे जाने की घटना घटित हुई, बल्कि गांव के बाहर जमीन एवं रास्ता को लेकर बाता–बाती एवं कहासुनी वाली घटना हुई थी जिसे कृत्रिम रूप

बनाकर यह मुकदमा चार दिन बाद दर्ज हुआ और यही नहीं साक्षी संख्या 1 कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है बल्कि कथित सूचिका, साक्षी संख्या 1 की नाते में पतोहू लगती है और साक्षी संख्या 1 के अनुसार 10–12 लोग घटना स्थल पर जूटे थे लेकिन वह किसी का भी नाम नहीं बता पाये है।

(ii) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी समर्पित किया गया कि साक्षी संख्या 2 मित्रराज पासवान जो सूचिका के पति के भाई है ने अपने न्यायालय मे परीक्षण के दौरान बताया कि 8 बजे सुबह गांव अवहिया में उसके घर के अन्दर ऑगन में घटना घटी थी, उस समय वह अपने घर पर था, महेन्द्र प्रजापति का सबमरसिवल का पानी उसकी जमीन पर गिर रहा था तो उसकी भाभी कमला देवी द्वारा पानी गिराने से मना किया गया, जिसके बाद महेन्द्र प्रजापति, रवि प्रजापति, अवधेश प्रजापति, हरि नारायण प्रजापति, बनारसी प्रजापति, अमित प्रजापति उसके घर में आये और महेन्द्र प्रजापति ने साक्षी के भाभी कमला देवी को थप्पड़ से मारने लगे और उसके बाद धक्का दे दिये जिससे वह गिर गयी और सभी अभियुक्तगण बोले कि यह नीच जाति के चमार दुसाध लोग है, इन्हें यहॉ से भगा देना है। जबकि ऐसा कोई सबमसिवल का पानी साक्षी संख्या 2 के जमीन में गिराने के बारे में कोई कथन न तो प्राथमिकी आवेदन में अंकित है और न ही साक्षी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई उल्लेख अपने बयान में किया गया और न ही ऐसा कोई बयान साक्षी संख्या 1 के द्वारा दिया गया कि साक्षी संख्या 2 अपने घर में था और उसी घर में घटना घटित हुई जबकि प्राथमिकी आवेदन में ऐसा कुछ अंकित नहीं है कि साक्षी संख्या 2 अपने घर में था और उसी घर में सूचिका कमला देवी थी जबकि सूचिका द्वारा प्राथमिकी आवेदन में बताया गया है कि जोर–जोर से चिल्लाने और हल्ला करने पर ग्रामीण एवं उसके परिवार के लोग आये थे और बचाए थे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यदि साक्षी संख्या 2 एवं काण्ड की सूचिका एक ही घर में रहते है और कथित तौर पर साक्षी संख्या 2 घर पर ही मौजूद था तो चार दिन सूचिका के पति को लौटने का इन्तजार मुकदमा दर्ज करवाने के लिए क्यों किया गया। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि यदि 6 लोग सूचिका के साथ मारपीट किये होते तो वैसे ही उसे गंभीर चोट आती और ईलाज भी हुआ होता और चूँकि घटनाक्रम एवं प्रकरण झुठा एवं बनावटी है और सिर्फ एस0सी0/एस0टी0 एक्त का दुरूपयोग करने के उद्देश्य से एक जमीनी विवाद को अत्याचार की श्रेणी में रखकर झुठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है और अभियोजन साक्ष्यों का स्वयं का मानना है कि जमीनी विवाद है जो साक्षी संख्या 2 द्वारा स्वंय कंडिका संख्या 11 में मानना है कि दस–पन्द्रह सालों से घर में पानी गिरा रहे है और कंडिका संख्या 12 में स्वंय माना है कि कथित घटना के पूर्व अभियुक्तों के साथ कोई विवाद नहीं हुआ था और येलोग सात भाई है और सातों एक साथ रहते है और गॉव में इनलोगों का दो घर है। दूसरा घर पहले घर से 200 मीटर की दूरी पर है और घटना के दिन उसकी भाभी पानी गिराने वाले घर पर गयी थी। पानी गिराने के समय वह और उसकी भाभी उपस्थित थी जबकि ऐसा कोई कथन न तो प्राथमकी आवेदन में है और स्पष्ट है कि सूचिका के घर के ऑगन में कोई घटना नही घटी और साक्षी संख्या 2 ने स्वंय अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह घर में था जबकि प्रति परीक्षण मे कहा कि सूचिका घर से 200 मीटर दूर दूसरे घर पर गयी थी और वह भी साथ था लेकिन ऐसा कोई कथन प्राथमिकी आवेदन में नहीं है और साक्षी संख्या 2 का स्वंय का यह मानना है कि घर में पानी गिरने के कारण विवाद हुआ था और कंडिका संख्या 17 में अभियोजान साक्षी संख्या 2 ने स्वंय माना कि उसने अपनी भाभी के साथ, अभियुक्तों को पानी गिराने से मना नहीं किया था और अपनी भाभी को पानी गिराने को लेकर बोलने से भी मना नहीं किया था और जब महेन्द्र प्रजापति आकर उसकी भाभी के साथ झंझट करने लगे थे तो साक्षी संख्या 2 ने अपनी भाभी और महेन्द्र प्रजापति को हटा दिया था। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 के स्वंय के बयान से यह सिद्ध हो जाता है कि 5–6 अभियुक्तगण सूचिका के घर मे प्रवेश नहीं किये और न ही उसके साथ मारपीट और गाली गलौज किये बल्कि घर से 200 मीटर दूर सूचिका के कथित दूसरे घर में जाकर अभियुक्त महेन्द्र प्रजापति के सबमरसिवल से पानी गिरने के कारण या साक्षी संख्या 1 के बयान के अनुसार रास्ता को लेकर कुछ कहा सुनी महेन्द्र प्रजापति एवं सूचिका के बीच में हुई थी तो झंझट होने लगा जिसे साक्षी संख्या 2 के स्वंय के बयान के अनुसार छुड़वा

दिया था और इसी घटना को लेकर बाद में चार दिन बाद कृत्रिम घटनाक्रम बनाकर यह मुकदमा दर्ज हुआ।

(iii) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी समर्पित किया गया कि साक्षी संख्या 5 ने सूचिका के हस्ताक्षर को पहचाना है और बताया कि प्राथमिकी आवेदन मित्रराज पासवान द्वारा लिखा गया था जो पी–3/पी0डब्लू0–5 अंकित है लेकिन मित्र देव पासवान साक्षी संख्या 2 के रूप में परीक्षण हुआ है और उसने ऐसी कोई बात नहीं बतायी कि प्राथमिकी आवेदन मित्रदेव पासवान ने लिखा था और सूचिका ने हस्ताक्षर किया है। क्योंकि सूचिका को न्यायालय में परीक्षण हेतु अभियोजन साक्षी संख्या 3 के रूप में उपस्थित किया गया था लेकिन सूचिका लकवाग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप से कुछ बताने या समझाने में सक्षम नहीं थी इसलिए उसका परीक्षण नहीं हो पाया और इस बात का सही स्पष्ट साक्ष्य सिर्फ पी0–डब्लू0–3 ही सक्षम रूप से दे सकती थी कि उसे किस किस व्यक्ति ने कहॉ कहॉ और किस स्थान पर चोट लगी थी और क्या घटना स्थल सूचिका एवं उसके पति के भाईयों वाला संयुक्त परिवार वाला घर है या संयुक्त परिवार वाले घर का ऑगन है या कथित 200 मीटर के दूरी पर स्थिति दूसरा घर जिसपर कथित रूप से पानी गिरने का कथन किया गया है जबकि सूचिका ने स्वंय अपने प्राथमिकी आवेदन में लिखा है कि वह अपने घर के ऑगन में बैठी थी और सबमरसिवल से घर के ऑगन में पानी गिराने का कोई कथन नहीं है और जो कथित तौर पर प्राथमिकी आवेदन साक्षी संख्या 2 लिखकर मित्रराज पासवान, सूचिका के देवर द्वारा लिखकर दिया गया था उससे भी स्पष्ट नहीं है।

(iv) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी समर्पित किया गया कि न सिर्फ अभियोजन साक्षियों जो सूचिका से पारिवारीक तौर पर संबंधित है के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास एवं महत्वपूर्ण त्रुटियां कथित घटनाक्रम, लोगों की उपस्थिति, घटना के कारण एवं घटना स्थल के संबंध में है बल्कि काण्ड के अनुसंधानकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या 4 सब इन्सपेक्टर सुरेश सिंह के बयान से भी स्पष्ट है क्योंकि अनुसंधानकर्ता साक्षी संख्या 4 द्वारा सर्वप्रथम न तो प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करवाये जाने का कारण अंकित किया गया और उसने भी घटना स्थल गांव अवरिया स्थित वादिनी का घर बताया है जिसकी चौहद्दी में उत्तर में जैलेन्द्र पाण्डेय, दक्षिण में महेन्द्र प्रजापति का घर, पूर्व में महादेव दुसाध का खलिहान एवं पश्चिम में मदन खरवार का घर है लेकिन किसी भी चौहद्दी के निवासी का साक्षी के रूप में बयान अंकित नहीं किया जो महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे और अनुसंधानकर्ता द्वारा सिर्फ अनुसंधान के तौर पर एक महत्वपूर्ण मुकदमा जो सख्त प्रावधान वाले एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दर्ज हुआ, जिसमें एक अनुभवी एवं स्वतंत्र रूप से जॉच करने वाले अधिकारी की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण निष्पक्ष भूमिका रहती है, के तौर पर अनुसंधान नहीं किया गया और न ही एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रावधानित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर जाकर पर्यवेक्षण किया गया जिससे समस्त तथ्य उजागर हो सकते और सिर्फ खानापूर्ति कर अनुसंधान संपूर्ण कर वरीय पदाधिकारी के आदेश से आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और किसी भी अभियुक्तगण का कथित घटना स्थल पर उपस्थिति बारे सत्यापन नहीं किया गया जबकि साक्षी संख्या 2 का अपने परीक्षण के कंडिका संख्या 19 में स्वंय का बयान है कि महेन्द्र प्रजापति आकर उसकी भाभी के साथ झंझट करने लगे तो उसने अपनी भाभी और उसे हटा दिया था और प्राथमिकी आवेदन में भी सिर्फ महेन्द्र प्रजापित पर घर के ऑगन में घूॅसने और धक्का देकर गिराने और बाल खींचने का आरोप सूचिका के ऑगन में है और शेष अभियुक्तगण पर कोई विशेष आरोप नहीं है और मिलकर मारने का आरोप है और यदि छः लोग सूचिका को मारे होते तो वैसे ही उसे गंभीर चोट आयी होती, जो की अभिलेख पर नहीं है और स्पष्ट है कि सिर्फ अभियुक्तगण की जमीन से रास्ता लेने के उद्देश्य से बनावटी मुकदमा अभिक्तगण के पूरे कुटुंब के विरूद्ध करवाया गया। बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि बचाव पक्ष का तर्क इस बात से भी बल रखता है कि अनुसंधानकर्ता साक्षी संख्या 4 ने कंडिका संख्या 5 में स्वंय बताया है कि जमीनी विवाद नहीं है, बल्कि वादिनी के जमीन में अभियुक्तगण का नाली का पानी गिरता था और इसी बात का विवाद है लेकिन

अनुसंधानकर्ता द्वारा जमीन की कोई मापी नहीं करवायी गयी और न ही कोई खतियान देखा और यही नहीं साक्षी संख्या 4 ने कंडिका संख्या 6 में बताया कि उसने घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान नहीं बताया था कि नाली का पानी मुददई के जमीन में गिरता था और न ही कंडिका संख्या 7 में यह लिखा कि नाली का पानी खेत में गिरते देखा है और यही नहीं अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वंय कंडिका संख्या 8 में बताया कि पूरे अनुसंधान के दौरान चौहद्दी के किसी भी व्यक्ति का बयान उसके द्वारा दर्ज नहीं किया गया और यह भी बताया कि सूचिका को उसने कहीं ईलाज के लिए नहीं भेजा था जिससे स्पष्ट है कि सूचिका को कोई चोट नहीं आयी थी और अनुसंधानकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि साक्षी संख्या 5 मित्रराज पासवान ने उसके समक्ष यह बयान हीं दिया कि तुमलोगों को यहॉ से उजाड़ देंगें और भगा देंगें।

(v) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम में समर्पित किया गया कि साक्षी संख्या 2 मित्र राज पासवान के बयान से स्पष्ट है कि इस कथित घटना से पूर्व इनलोगों का अभियुक्तों के घर आना–जाना लगा रहता था और गांव के शादी समारोह में भी आना–जाना एवं उठना–बैठना लगा रहता है जिससे स्पष्ट है कि जाति संबंधी विवाद या जाति के आधार पर कोई भेद भाव सूचिका या उसके परिवार के साथ नहीं होता था और न ही होता है बल्कि स्वंय अभियोजन साक्षी एवं अनुसंधानकर्ता के बयान से अभिलेख पर आया है कि रास्ता को लेकर जमीनी विवाद है और नाली के पानी को लेकर विवाद है जो सामान्यतः किसी भी गांव में किन्हीं भी दो पड़ोसियों के बीच में संभव है और दो पड़ोसियों में बोल–चाल या कहा–सुनी नाली के पानी संबंधी एवं रास्ता को लेकर आम बात होती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि यह जाति के आधार पर भेद भाव कर अत्याचार की श्रेणी में आ जाए और क्योंकि इस काण्ड में कथित घटना दिनांक 10.12.2018 की बतायी गयी है और प्राथमिकी दिनांक 14.12.2018 को दर्ज करायी गयी है, और विलम्ब का सही कारण नहीं बताया गया और जो कारण बताया गया है कि सूचिका के पति घर पर नहीं है लेकिन साक्षी संख्या 2 के स्वंय के बयान के अनुसांर सूचिका का पति या देवर सात भाई है और सभी एक घर में रहते है तो सूचिका को मुकदमा समय पर दर्ज नहीं करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता इसलिए यह मुकदमा सिर्फ एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के प्रावधानों का दुरूपयोंग से अधिक और कुछ नहीं है, इसलिए विचाराधीन अभियुक्तगा को गठित आरोपों से ससम्मान दोषमुक्त किया गया।

<u>विनिश्चय (Finding)</u>

11. जैसा कि कंडिका संख्या 07 में अभिलेख पर आया है कि इस वाद विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पॉच साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, अभियोजन साक्षी संख्या–01 शिवदास पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–02 मित्रराज पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–03 कमला देवी (सूचिका) एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 सुरेश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 05 उमेश कुमार का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक या दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, और अभियोजन साक्ष्य का

(i) **अभियोजन साक्षी संख्या–01**, **शिवदास पासवान** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''घटना चार साल पहले सन् 2018 की है। समय 08:00 बजे सुबह की है। उस समय मैं दुर्गावती बाजार से अपने घर आ रहे थे। सोनाव डीह, गंगा पुल के पास देखे कि कमला देवी को महेन्द्र पासवान की औरत, महेन्द्र प्रजापति, अवधेश, रवि, बनारसी, हर नारायण कुल पॉच–छः आदमी मार रहे थे। कमला देवी को मुदालयगण कह रहे थे कि तुम हटो ये जमीन मेरी है तथा रास्ता को लेकर झगड़ा झंझट हो रहा था।''

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''दुर्गावती बाजर में कभी कभी जाता हूॅ। बाजार से मैं उस दिन अपने घर के लिए 08:00 बजे सुबह चला था। मैं अपना घर समय लगभग 08:30 बजे पहुॅचा था अवहिया गांव से दुर्गावती बाजर एक कोस की दूरी

पर है। मैं उस दिन पैदल आ रहा था। मैं उस दिन अकेले आ रहा था। कमला देवी को मैं पहले से ही जानता हूॅ। कमला देवी नाता में मेरी पतोहू लगती है। कमला देवी अस्पताल में भर्ती नहीं थी। जब मैं घटनास्थल पर पहुॅचा तब वहॉ 10–12 आदमी जूटे हुए थे। इन 10–12 आदमियों का नाम मैं नहीं बता सकता हूॅ। कमला देवी और मुदालय लोग में जमीन का विवाद बहुत पहले से है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हल्ला हो रहा था तब मैं वहॉ गया और सुना उसके बाद मैं वहॉ से चला गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं झुठी गवाही दिया हूॅ तथा हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था और कमला देवी मेरी पतोहू है और उनके मेल में आकर गलत गवाही दिया हूॅ।

(ii) अभियोजन साक्षी संख्या–02, मित्रराज पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''यह घटना लगभग साढ़े चार वर्श पूर्व समय करीब आठ बजे सुबह गांव अवहयिां में मेरे घर के अंदर आंगन में घटित हुई थी। उस समय मैं अपने घर पर था। महेन्द्र प्रजापति का समरसेबुल का पानी मेरे जमीन पर गिरा रहा था, तो मेरी भाभी कमला देवी के द्वारा पानी गिराने से मना किया गया। इसके बाद महेन्द्र प्रजापति, रवि प्रजापति, अवधेश प्रजापति, हरि प्रजापति, बनारसी प्रजापति, अमित प्रजापति ये सारे लोग मेरे घर में आए और महेन्द्र प्रजापति मेरी भाभी कमला देवी को थप्पड़ से मारने लगे। इसके बाद वे उसे धक्का दे दिये, जिससे वह गिर गई। सभी अभियुक्तगण बोले कि ये नीच जाति के चमार–दुसाध लोग है, इन्हें यहॉ से भगा देना है। अभियुक्तगण मेरी जमीन को अपी जमीन होना बता रहे थे, तब मैनें उस जमीन का अंचलाधिकारी, दुर्गावती के द्वारा मापी कराया। मापरी में अभियुक्तों के घर के अंदर मेरी जमीन चली गई। मापी होने के बाद भी अभियुक्तगण इस मापी को नहीं माने। अभी ये लोग हमलोगों को धमकी देते रहते है और बालेते है कि इनहें यहॉ से भगा देना है। उस घटना में मेरी भाभी कमला देवी को चोट आई थी। मेरी भाभी के पैर बगैरह में हल्की चोटे लगी थी, इसलिए उसका डॉक्टरी जॉच नहीं कराया गया था। घटना के समय मैं अपने घर पर था और घटना को मैनें देखा था। आहत कमला देवी मेरी अपनी भाभी है। घटना के बारे में पुलिस ने मुझसे पुछताछ किया था। आज न्यायालय में अभियुक्त रवि प्रजापति उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। अन्य अभियुक्त जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, उन्हें भी देखकर पहचान लूॅगा।''

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि '' पासवान के अलावे आठ–दस अन्य जाति के लोग मेरे गांव में निवास करते है। मेरे अपने जाति के लोगों के अलावे अन्य जाति के लोगों के घर पर आना–जाना लगा रहता है। इस घटना के पूर्व हमलोगों का अभियुक्तों के घर पर आना–जाना लगा रहता है। गांव के शादी–समारोह में हमलोग का आना–जाना, उठना–बैठना लगा रहता है। घटना के पूर्व अभिुक्तगण लगभग 10–15 सालो से मेरे घर में पानी गिरा रहे थे। पानी गिराने को लेकर घटना के पूर्वहमलोगों का अभियक्ताों के साथ विवाद नहीं था। हमलोग सात भाई है। सभी सातों भाई हमलोग एक साथ रहते है। गांव में हमलोगों का दो घर है। मेरा दूसरा घर की दूरी दो सौ मीटर है, मेरे पहले घर से। घटना वाली दिन मेरी भाभी पानी गिराने वाले घर पर थी। पानी गिरने के समय घर पर मैं और मेरी भाभी उपस्थित थी। मेरी भाभी अपने घर के आंगन में खड़ा होकर जिल्ला रही थी, कि मेरे घर में पानी गिर रहा है। मैं भी अपनी भाभी के साथ में अभियुक्तों को पानी गिराने से मना किया था। मैं अपनी भाभी को पानी गिराने को लेकर बोलेने से मना नहीं किया था। जब हमेन्द्र प्रजापति आकर मेरी भाभी के साथ झंझट करने लगे तो मैं अनी भाभी और उन्हें हटा दिया था। पासवान जाति को दुसाध भी लिखा जाता है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे गांव में चमार जाति के लोग लिखने वाले लोग है या नहीं। मेरे पितजी टाईटल में दुसाध लिखते है। मेरी गवाही पुलिस में घ्ज्ञअना के चार दिनों के बाद हुई थी। यह कहना गलत है कि मैनें पुलिस को दयि बयान में यह नहीं बताया था कि घ्ज्ञअना मेरे घर के आगंन में घटित हुई थी। यह कहना गलत है कि मैनें पुलिस को दिये बयान में यह नहीं बताया थाकि अभियुक्त्गण मुझे धमकी देते थे कि तुमलोगों को यहॉ से उजाड़ देंगें और भगा देंगें। यह कहना गलत है कि मैनु झुठी गवाही दिया है और यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण हमलोगों को जाति सूचक गाली–गलौज नहीं दिये थे। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन का मापी कराया गया था,

जिसमें मुदालय लोगों की जमीन हमलोगों के जमीन में निकला था और उसी को लेने के लिए हमलोगों ने यह झूठा मुकदमा किया है।''

(iii) अभियोजन साक्षी संख्या–03, कमला देवी (सूचिका)– अभियोजन पक्ष द्वारा आधार कार्ड क्रमांक 558832530193 सहित अभियोजन साक्षी कमला देवी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कमला देवी शारीरिक रूप से असमर्थ है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व कमला देवी लकवाग्रस्त हो गई थी, उस समय से ये शारिरीक रूप से चलने, फिरने, उठने एवं बैठने में असमर्थ हो गई, वह बोल भी नहीं पाती है।

न्यायालय में उपस्थित साक्षी कमला देवी से बातचीत करने का प्रयास किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वे अन्य लोगों द्वारा बोली गई बातें सुन पा रही है, लेकिन बोलने में बिल्कुल असमर्थ है। न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों को इशारों के माध्यम से भी सही तीरके से उत्तर देने में असमर्थ है। अतः साक्षी कमला देवी के शारिरीक असमर्थता एवं न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों को मौखिक या सांकेतिक रूप में उत्तर दिये जाने में असमर्थता के कारण बिना परीक्षण उन्मुक्त किया गया।

(iv) अभियोजन साक्षी संख्या–04, सुरेश सिंह (अनुसंधानकर्ता) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''दिनांक 14.12.2018 को मैं एस.सी./एस.टी. थाना भभुआ में पदस्थापित था। दिनांक 14.12.2018 को कमला देवी द्वारा थाने में आवेदन दिया गया, जिसे तत्कालीन थानाध्यक्ष बिनय कुमार के द्वारा मुकमदा दर्ज किया गया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद दिनांक 16.12.2018 को 15.30 को घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। घटनास्थल पर पहुॅचने के बाद सर्वप्रथम वादिनी एवं साक्षी का बयान लिये। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किये। इस कांड का घटनास्थल गांव अवरियां स्थित वादिनी का घर है, वहीं घटना घटित हुई थी। घटनास्थल की चौहदी इस प्रकार है, उत्तर में जलेन्द्र पाण्डेय, दक्षिण में महेन्द्र प्रजापति का घर, पूरब में महादेव दुसाध का खलिहान एवं पष्चिम में मदन खरवार का घर है। इसके बाद साक्षी रविदास पासवान, मितराज पासवान, राम मूरत प्रजापति, लालचंद प्रजापति का बयान लिया। छः अभियुक्त महेन्द्र प्रजापति, अमित प्रजापति, अवधेश प्रजापति, रवि प्रजापति, बनारसी प्रजापति, हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध निरूद्वात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक, भभुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र समर्पित करने का आदेष प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में आरोप पत्र संख्या–66/2018 दिनांक 31.12.2018 प्राथमिकी अभियुक्त महेन्द्र प्रजापति, अमित प्रजापति, अवधेश प्रजापति, रवि प्रजापति, बनारसी प्रजापति, हरि नारायण प्रजापति के विरूद्व धारा–341,347,323,354,504, 506,34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(w) SC/ST Act के तहत समर्पित किया गया है। गवाह के पहचान पर आरोप पत्र को प्रदर्श–P1/PW4 अंकित किया गया। औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष का लघु हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श–P2/PW4 अंकित किया गया।''

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''लिखित आवेदन मेरे समक्ष नहीं लिखा गया था। एफ.आई.आर. होने के बाद मुझे अनुसंधान का भार मिला। लिखित आवेदन को मेरे द्वारा पढ़ा गया था। जमीनी विवाद नहीं है, बल्कि वादिनी के जमीन पर अभियुक्त के नाली का पानी गिरता था, इसी बात का विवाद है। मेरे द्वारा उस जमीन की कोई मापी नहीं करवाई गयी और न ही खतियान देखा गया। मुदई के घर से सटे दक्षिण तरफ मुदालय लोगों का घर है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मैंने यह नहीं लिखा था कि मुदालय का नाली का पानी मुदई के जमीन में गिरता था। मैंने केस डायरी में यह नहीं लिखा है कि मैंने मुदालय का पानी मुदई के खेत में गिरते देखा है। पूरे अनुसंधान के दौरान चौहदी के किसी व्यक्ति का बयान मेरे द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। मैं 15.30 में घटनास्थल पर प्रस्थान करने तथा 16.40 में पहुॅचने का समय केस डायरी में अंकित किया है तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने का समय केस डायरी में अंकित नहीं किया गया है। मैंने अपने केस डायरी के पैरा नंबर 17 में यह बात लिखी है कि मुदालहम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। झगड़ा वाली जमीन मुदई के घर से

पश्चिम दिशा में स्थित है। मैंने जमीन का लंबाई, चौड़ाई एवं चौहदी दर्ज नहीं किया है। सूचिका को मैंने कहीं ईलाज के लिए अस्पताल नहीं भेजा था। मितराज पासवान का बयान मैंने दिनांक 14.12.2018 को लिया था। ऐसी बात नहीं है कि गवाह मितराज पासवान ने मेरे समक्ष यह बयान नहीं दिया था कि घटना मेरे घर के आंगन में घटित हुई थी। यह कहना सही है कि गवाह मितराज पासवान ने मेरे समक्ष ऐसा बयान नहीं दिये थे कि तुमलोगों को यहां से उजाड़ देंगे और भगा देंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है।''

(v) अभियोजन साक्षी संख्या–05, उमेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''थाने में दिये गये लिखित प्राथमिकी मित्रराज पासवान के लिखावट में है तथा आवेदन पर हस्ताक्षर कमला देवी का जो मेरी भाभी है। मैं कमला देवी के हस्ताक्षर को जानता एवं पहचानता हूँ। गवाह के पहचान पर संपूर्ण लिखित आवेदन को प्रदर्श–P3/PW5 अंकित किया गया।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''आवेदन मेरे सामने मित्रराज पासवान अपने घर पर 09 बजे दिन में लिखे थे। कमला देवी मेरी भाभी है।''

12. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं अभिलेख अवलोकन कर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं अभियोजन साक्षी का सूक्षम परीक्षण, विश्लेषण एवं विवेचन करने पश्चात्

(i) मुकदमा सूचिका कमला देवी द्वारा कथित घटना दिनांक 10.12.2018, सुबह करीब 8 बजे सूचिका के घर के ऑगन में घटित होने बारे एक लिखित आवेदन सूचिका द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 14.12.2018 पर आधारित है जो साक्षी संख्या 5 के द्वारा सूचिका के हस्ताक्षर को पहचान कर प्रदर्श पी–3/पी0डब्लू0–5 अंकित करवाया गया।

उपरोक्त प्राथमिकी आवेदन में घटना स्थल सूचिका के घर का ऑगन बताया गया है जिसमें सूचिका कथनानुसार वह ऑगन में बैठी थी और उसी समय महेन्द्र प्रजापति, अमित प्रजापति, अवधेश प्रजापति, रवि प्रजापति और बनारसी प्रजापति और हरि नारायण प्रजापति आए और जाति सूचक दुसाध नीच कहकर गाली गलौज करते हुए बोले कि तुमलोग मेजी जमीन से आना जाना बन्द करो, इसपर सूचिका बोली कि यह जमीन उसके ससुर के नाम से है तो महेन्द्र प्रजापति लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करते हुए गर्दन में हाथ लगाकर धकेल दिए जिससे वह जमीन पर गिर गयी फिर सभी लोग मारपीट करने लगे, सूचिका जोर–जोर से चिल्लाने लगी, हल्ला सुनकर ग्रामीण एवं उसके परिवार के लोग आए और उसे बचाए।

सूचिका के उपरोक्त बयान में यह कही स्पष्ट नहीं है कि वह संयुक्त परिवार वाले घर की बात कर रही है जिसमें कथित तौर पर उसके पति एवं साथ में पति के छः भाई रहते थे या घर से 200 मीटर दूर स्थित कथित दूसरे घर की बात कह रही है जिसका कथन साक्षी संख्या 2 द्वारा अपने बयान में किया गया है। सूचिका के प्राथमिकी में बयान से यह उजागर होता है कि अभियुक्तगण के जमीन से होकर आने–जाने के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। प्राथमिकी आवेदन जो कथित तौर पर साक्षी संख्या 2 द्वारा लिखा गया है ने अपने बयान में कही नहीं बताया कि आवेदन उसके द्वारा लिखा गया और यही नहीं प्राथमिकी आवेदन में सूचिका के ऑगन में सबमरसिवल से पानी गिराने बारे कोई कथन नहीं है बल्कि जमीन से आने–जाने को लेकर अभियुक्तगण को आपत्ति है जबकि साक्षी संख्या 2 जिनके द्वारा कथित तौर पर प्राथमिकी आवेदन लिखा गया था, ने अपने बयान में कहा कि महेन्द्र प्रजापति का सबमरसिवल का पानी उसके जमीन में गिर रहा था तो उसके भाभी ने पानी गिराने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसके ऑगन में आकर घटना कारित किये और अनुसंधाकर्ता द्वारा भी नाली के पानी के कारण झगड़ा होने का कथन किया गया है लेकिन उसने न तो नाली के बारे में कुछ लिखा न तो नाली के बारे में सत्यापन किया और न ही नाली का पानी गिरने के बारे में और न ही रास्ता को लेकर, जिससे स्पष्ट है कि सिर्फ मौखिक कथनों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्यिों का बयान अंकित किया जिसमें कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है और खासकर कथित घटना स्थल के चौहद्दी के किसी भी साक्षी का बयान अंकित नहीं है और घटना के कारण मे भी गंभीर विरोधाभास है। आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि अभयुक्तगण अपने जमीन से आने–जाने को लेकर

आपत्ति करते रहे है और साक्षी संख्या 1 के द्वारा भी रास्ता को लेकर झंझट का जिक्र किया गया है और साक्षी संख्या 2 द्वारा सबमरसिवल का पानी उसके जमीन में गिरना कारण बताया गया है और अनुसंधानकर्ता द्वारा नाली के पानी गिरना विवाद का कारण बताया गया है और अनुसंधानकर्ता द्वारा न तो रास्ते का विवाद और न ही नाली का पानी और सबमरसिवल से पानी गिरने के कारण का सत्यापन किया गया है।

(ii) अभियोजान साक्षी संख्या 1 ने कही नहीं कहा कि घटना स्थल सूचिका के घर का ऑगन है बल्कि जमीनी विवाद एवं रास्ता को घटना का कारण बताया जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 2 द्वारा घटना स्थल संयुक्त घर से 200 मीटर की दूरी पर दूसरा घर बताया जिसमें वह सूचिका के साथ गया था जबकि अपने ही मुख्य परीक्षण में साक्षी संख्या 2 ने बताया कि वह अ पने घर में था और सूचिका ऑगन में थी, जब अभियुक्तगण उनके घर में घूॅसे। इस तरह से कथित घटना स्थल का भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण सूचिका के संयुक्त परिवार वाले घर में घूॅसे थे या 200 मीटर दूर स्थित घर में या फिर साक्षी संख्या 1 के अनुसार अभियुक्तगण के जमीन के पास कुछ झंझट हुआ जहॉ रास्ता को लेकर विवाद हुआ और साक्षी संख्या 2 के कंडिका संख्या 19 में बयान से ही स्पष्ट है कि जब महेन्द्र प्रजापति उसके भाभी के साथ झंझट करने लगे तो उसने महेन्द्र प्रजापित और अपनी भाभी को हटा दिया था और ऐसा कोई अभियोजन का न तो कथानक है और न ही अभिलेख पर साक्ष्य है कि पहले झंझट महेन्द्र प्रजापति के जमीन के पास रास्ता को लेकर हुआ और न ही महेन्द्र प्रजापति अन्य अभियुक्तगण के साथ आकर सूचिका के घ ार में घूॅसकर जाति सूचक गाली गलौज या उसके बाल से पकड़कर घसींटे। न सिर्फ कथित घ ाटना का बल्कि घटना स्थल के बारे में भी गंभीर विरोधाभास है एवं महत्वपूर्ण अनियमितताएॅ है और अनुसंधानकर्ता द्वारा भी एक अनुभवी अनवेष्ण अधिकारी होने का परिचय नहीं दिया गया ताकि संपूर्ण तथ्य अभिलेख पर आ सके।

(iii) सूचिका सह वाद की पीड़िता का चिकित्सकीय जॉच भी नहीं हुआ है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करवाने का सुसंगत कारण/स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर नहीं आया है। रास्ता को लेकर जमिनी विवाद स्पष्ट है।

(iv) ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा पाया गया कि इस मुकदमा में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित आरोपों को संदेह की दृष्टि से एकरूप एवं अकाट्य सिद्ध नहीं कर पाया और घटनाक्रम, घटना स्थल को लेकर भी गंभीर विषमताएॅ एवं विरोधाभास है जो संदेह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करता है और संदेह का लाभ हमेशा बचाव पक्ष को जाता है और यही विधि का स्थापित सिद्धांत तो है। इस मुकदमा में न्यायालय सिर्फ इस नतीजे पर पहुॅच सकती है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ जो संभवतः जमीन या रास्ता को लेकर हुआ लेकिन अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ कि सभी अभियुक्तगण सूचिका को मारने, बेइज्जत/प्रताड़ित करने या अनुसूचित जाति से संबंध रखने के कारण अत्याचार करने के नियत से उसके घर में घूॅसे थे और मारपीट किये थे। परिणामस्वरूप अभियुक्तण को संदेह का लाभ देते हुए इस काण्ड में दोषमुक्त करते हुए बरी किया जाता है।

आदेश

13. परिणामस्वरूप छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति के विरूद्ध धारा–447,323,341,354, 504,506/34,भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s),3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित दोषमुक्त छः अभियुक्तों 1. बनारसी प्रजापति, 2. रवि प्रजापति, 3. महेन्द्र

प्रजापति, 4. अमित प्रजापति, 5. अवधेश प्रजापति एवं 6. हरि नारायण प्रजापति पूर्व से जमानत पर मुक्त है एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कैमूर को निर्णय की प्रति को भेजें।

निर्णय कुल 14 पृष्ठों में है जो मेरे द्वारा लेखापित हस्ताक्षरित शुद्धित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

Sd/-
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्या0–प्रथम सह विशेष न्या0,
(एस.सी./एस.टी.)
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–27.04.2026

Sd/-
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्या0–प्रथम सह विशेष न्या0,
(एस.सी./एस.टी.)
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–27.04.2026

राज्य बनाम् महेन्द्र प्रजापति एवं पॉच अन्य

मुऑवजा/प्रतिकर का आदेश–

इस प्रकरण में क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित आरोप अन्तर्गत धारा 447,323,341,354, 504,506/34,भा0द0वि0 एवं धारा–3(1)(s),3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को संदेह के दृष्टि से परे सिद्ध नहीं कर पाया है और सभी विचाराधीन अभियुक्तगण दोष मुक्त हुए इसलिए न्यायालय अग्रतर मुऑवजा या प्रतिकर देने की अनुशंसा नहीं करती है।

Sd/-
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी./एस.टी.),
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–27.04.2026

राज्य बनाम् महेन्द्र प्रजापति एवं पॉच अन्य

फॉर्म–सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय सक्षियों की सूचि

ए. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0सा0संख्या–1	शिवदास पासवान	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–2	मित्रराज पासवान	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–3	कमला देवी	सूचिका
अभि0सा0संख्या–4	सुरेश सिंह	आरक्षी साक्षी
अभि0सा0संख्या–5	उमेश कुमार	अन्य साक्षी

बी. बचाव साक्षी, यदि कोई हो

क्रमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
--	--	--

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो

क्रमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए. अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श-P1/PW4	आरोप पत्र
2	प्रदर्श-P2/PW4	औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष का लघु हस्ताक्षर
3	प्रदर्श-P3/PW5	लिखित आवेदन

बी. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

सी. न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

डी. वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

Sd/-
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.),
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–27.04.2026